संख्या–564 / 18–4–2010–1(बजट) / 2008

प्रेषक,

राम किशोर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी,2010

विषयः–निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना योजना अन्तर्गत पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–672 / निर्यात–22 / पुनर्विनियोग / बजट / 09–10 दि0 15.2.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत मद संख्या–47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय में रू0 15,000 / – (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जाय । उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में शासन की अनुमति से पूर्व स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों / अन्य योजनाओं के कियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

3. योजना को कार्यान्वयन एवं इस सम्बंध में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1071 / दस–08–231 / 2008, दिनांक 20 मार्च 2009 यथासंशोधित एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित कराने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 एवं शासन को प्रपत्र बी–एम–13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–3 के लेखा शीर्षक–"2851 ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–07–निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना–मद सं0–47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय के अन्तर्गत व्यवस्थित

––2 / –

धनराशि के नामे डाला जायेगा तथा इसी योजना की मद संख्या–13–टेलीफोन पर व्यय में होने वाली बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा वहन किया जायेगा। पुनर्विनियोग प्रपत्र संलग्न है।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–ई–6–146/दस–2010, दिनांक 27 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु सचिव

संख्या–564(1)/18–4–2009–1(बजट)/2008, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा–I) सी0ए0एस0एस0–3/टी0डी0ए0 कोऑर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. कोषाधिकारी कानपुर ।
4. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1 नियोजन अनुभाग–4, लघु उद्योग अनुभाग–3
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव ।